17/2/2022 वकील फरीकेन उपस्थित। बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील हस्ब फीता दाखिल रहे।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2022.03.22 10:22:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली

गु.न.	आर.सी.एस न0	तारीख रजू
01/21	2021/2	06.01.2021

पीठासीन अधिकारीः— श्री धीरेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

1. किरन्ती पुत्री बाबूलाल माता किन्नी पत्नी बाबूलाल जाति माली नि. रणगंवाताल करौली पत्नि रामेश्वर जाति माली हाल नि. काछीपुरा करसाई तहसील व जिला करौली
2. गीता पुत्री बाबूलाल माता किन्नी पत्नी बाबूलाल जाति माली नि. रणगंवाताल करौली पत्नि रामेश्वर जाति माली हाल नि. काछीपुरा करसाई तहसील व जिला करौली

बनाम

1. गोपाल
2. हरीचरण — पिसरान मॉगीलाल
3. दुर्गा
4. कल्लन — पिसरान सरवन
5. हल्के
6. थोलीराम पुत्र किशन
7. निरंजन पुत्र रामबल
8. टुडो
9. टमरो — पुत्रीयान रामबल
10. ममता
11. रिंकी
12. कमला देवी पत्नि रामबल
13. लीला पत्नि घमण्डी
14. मुकेश पुत्र घमण्डी
15. कमरसिंह पुत्र घमण्डी नावालिग जरिये वली कुदरती माता लीला
16. माया
17. रूमाली — पुत्रीयान घमण्डी
18. सीमा
19. सोनम — पुत्रीयान घमण्डी नावालिग सरंक्षक माता लीला
20. भन्ता पुत्र किशन
21. मोहरसिंह

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2022.03.22 10:22:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

22. मनसिंह
23. ज्ञानसिंह
24. मनोर | पिसरान सामलिया
25. रामकेश | पिसरान कल्लन

सभी जाति मालीयान निवासीयान दुर्गसी घटा तहसील करौली व जिला करौली।

26.तहसीलदार तहसील करौली (लैण्ड होल्डर) गैरसायलान

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट.

निर्णय

दिनांक : 17.02.2022

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि सायलाना ने यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर का पेश किया हे कि सायलान के परनाना किशन पुत्र सुखदेव के खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी ख0नं0 9585,9588,9589,9590,9591,9618,9620,कुल किता 7 कुल रकवा 11 वीघा 01 विस्वा कस्वा करौली पटवार हल्का नं0 10 में स्थित है जिसमें 1/7 हिस्सा सायलान की माता सिन्नी व नाना मौजीराम का चला आ रहा है जिसका सज़रा इस मद में दर्ज किया गया है। सायलान के परनाना व नाना मौजीराम व अन्य का सजरा के मुताबिक गैरसायल नं. 24,25 को छोड कर सभी को संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की चली आ रही है। सायलान को अपने परनाना व किशन व नाना मौजीराम के हिस्से में मौजीराम का हिस्सा 1/7 में मॉ सिन्नी पत्नी बाबू के साथ जन्म से ही हक व हिस्सा चला आ रहा है परनाना की खातेदारी व कब्जे काश्त की जमाबंदी सम्वत् 2015 में इन्द्राज दर्ज है नाना के मरने के बाद सायलान की मॉ किन्नी अकेली थी उसकी सायलान की दो पुत्रियॉ है नाना मौजीराम का स्वर्गवास हो चुका है माता किन्नी का भी स्वर्गवास हो चुका है नाना मौजीराम के हिस्से की जमीन में सम्पूर्ण 1/7 हिस्सा सायलान का चला आ रहा है काबिज है 1/7 हिस्सा में मॉ किन्नी के साथ काबिज काश्त चले आ रहे है। गैरसायल नं. 24 व 25 का उक्त आराजीयात से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध व ताल्लुक नही है ना ही मौजीराम की जमीन से कोई सम्बन्ध है गैरसायलान नं0 24,25 में राजस्व कर्मचारियों से साज करके नाना मौजीराम की खातेदारी की जमीन हिस्सा 1/7 का गलत तरीके से इन्द्राज अपने नाम करवा लिया जो गलत है और सायलान पर बेअसर प्रभावहीन है सायलान अपने परनाना किशन के लडका मौजीराम नाना के हिस्से की 1/7 जमीन की खातेदारी की घोषणा अपने नाम कराने के हकदार है और सायलान गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने व मुश्तहक है। अन्त में प्रार्थना पत्र सायलान स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2022.03.22 10:22:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र सायलान दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया।

गैरसायल नं0 4 व 24,25 ने उपस्थित होकर जवाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि का कस्वा करौली में स्थित होना स्वीकार है विवाद भूमि में जवाबदार कल्लन व भाई हल्के गैरसायल नं0 5 का 1/7 हक व हिस्सा है एवं 1/7 हिस्सा मौजीराम का था और मौजीराम द्वारा दिनांक 21.11.2014 के दिवस विक्रय अपने सम्पूर्ण हक हिस्सा 1/7 का कर किया है और कस्वा भूमि पर करा दिया गया है जवावदार गैरसायल खरीदशुदा भूमि पर वतौर खातेदार की हैसीयत से काबिज है। सायलान द्वारा झूठा दावा पेश किया है सायलान का विवादित भूमि में कोई हक हिस्सा नही है सायलान मौजीराम के वारिस नही है। गैरसायलान जवावदारान अन्य गैरसायलान के साथ संयुक्त रूप से उक्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है गैरसायल नं. 24,25 ने विवाद भूमि में से मौजीराम का 1/7 हिस्सा रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के जरिये खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है। और मौजीराम को भूमि खरीद के बदले प्रतिफल राशि 3,51,000/रूपये नकद रोवरू गवाहान के अदा की गयी है विवाद भूमि में किन्नी का व सायलान का कोई हक हकूक अधिकारी नही है मौजीराम ने अपनी जायज जरूरत धन खर्च व परिवरिश खानदान रूपयों की आवश्यकता होने पर भूमि का बेचान किया गया है जो विधि अनुसार रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये जवावदारान के हक में किया गया है और विक्रय पत्र के आधार पर ही राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में इन्द्राज जवावदार के हक में हुये है कोई गलत इन्द्राज नही हुये है सायलान ने प्रार्थना पत्र में मनगढन्त तथ्य दर्ज किये है जो अस्वीकार है। सायलान विवाद भूमि में 1/7 हिस्सा हक की घोषणा कराने की अधिकारी नही है ना ही गैरसायलान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द कराने की अधिकारी है क्योंकि सायलान का विवाद भूमि में ना तो कोई हक हिस्सा है ना ही कब्जा है गलत तथ्यों के आधार पर दावा व प्रार्थना पत्र पेश किये है। सायलान को कोई अपूरणीय क्षति व असुविधा नही है बल्कि अपूरणीय ,क्षति व असुविधा गैरसायलान को है प्रार्थना पत्र सायलान खारिज किये जाने योग्य है। अन्त में प्रार्थना पत्र सायलान खारिज किये जाने का निवेदन किया है। गैरसायलान नं. 1ता3, व 5ता10 व 12ता22 ने जववा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि सायलान का नाना मौजीराम सन् 2013 में फोत हो चुका था जिसके फौत हो जाने के बाद उक्त जमीन में सायलान की मॉ [illegible] काबिज थी और अब सायलान काबिज है। और प्रार्थना पत्र सायलान स्वीकार किये जाने [illegible] किया है। गैरसायल नं. 11 व 23 के विरूद्ध एक पक्षीय [illegible] जा चुकी है। गैरसायल नं. 26 द्वारा कोई जवाब प्रार्थना पत्र [illegible] है।

वहस वकील उभय पक्ष सुनी गयी। पत्राव[illegible] का अवलोकन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2022.03.22 10:22:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

वकील सायलान का वहस में कथन है कि वादग्रस्त आराजीयात सायलान के परनाना किशन व नाना मौजीराम के समय की खातेदारी व कब्जे की हैं जिसमें सायलान का 1/7 हिस्सा हक व कब्जा काश्त है। गैरसायल नं. 24,25 24,25 में राजस्व कर्मचारियों से साज करके नाना मौजीराम की खातेदारी की जमीन हिस्सा 1/7 का गलत तरीके से इन्द्राज अपने नाम करा लिया है जो गलत है हक सायलाना पर बेअसर प्रभावहीन है सायलान अपने हक में 1/7 हिस्सा की खातेदारी घोषणा कराने व गैरसायलान को ताफैसला वादपत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी है। प्रार्थना पत्र सायलान स्वीकार किया जावें।

वकील गैरसायलान नं. 4,24,25 का वहस में कथन है कि वादग्रस्त आराजीयात के 1/7 हिस्सा जो मौजीराम के खातेदारी का था वह उसने कर्ता खानदान की हैसियत से गैरसायल नं. 24,25 को 3,57000/रूपये में दिनांक 21.11.2014 विक्रय कर बयनामा पंजीयन कराकर एवं प्रतिफल राशि सम्पूर्ण प्राप्त कर भूमि के 1/7 हिस्सा पर कब्जा गैरसायलान नं. 24,25 को दिया गया है तथी से गैरसायल नं. 24,25 भूमि के 1/7 हिस्सा पर बतौर खातेदार काबिज काश्त है सायलान ने झूठा दावा पेश किया है। सायलान का भूमि में कोई हक हिस्सा नही है। ना ही सायलान का कब्जा है। सायलान मौजीराम के वारिस नही है। विवाद भूमि में किन्नी का कोई हक हिस्सा नही रहा है। सायलान के हक में रजिस्टर्ड वयनामें के आधार पर विधिवत व सही खातेदारी इन्द्राज हुये है सायलान ने दावा व प्रार्थना पत्र मनगढन्त तथ्यों पर प्रस्तुत किया है। सायलान के किसी हक हकूक पर आघात नही है। सायलान को कोई अपूरणीय क्षति व असुविधा नही है पाबन्द किये जाने से गैरसायलान जो रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है को अपूरणीय क्षति व भारी असुविधा होगी प्रार्थना पत्र सायलान खारिज किया जावें।

गैरसायल नं. 1 ता 3 व 5 ता 10 व 12 ता 23 का वहस कथन है कि गैरसायलान को पाबन्द किये जाने में हमें कोई आपत्ति नही है।

वहस वकील उभयपक्षकारान का मनन किया गया पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

सायलान द्वारा प्ररतुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में किशन का सजरा दर्ज किया गया है जिसमें मौजीराम के सायलान को किन्नी जो मौजीराम की पुत्री बताकर किन्नी को फोत लिख कर सायलान दो पुत्री किन्नी की होना बताया है परन्तु सजरा में मौजीराम की पत्नी का नाम तक नही लिखा है ना ही उसे मृत या जीवित होना दर्ज प्रार्थना पत्र में नही किया गया है सायलान के प्रार्थना पत्र में मौजीराम के मरने के बाद गैर सायलान नं. 24,25 द्वारा राजस्व कर्मियों से साज कर गलत खातेदारी इन्द्राज 1/7 हिस्सा के [illegible] ना दर्ज किया है जबकि गैरसायलान नं. 24 व 25 ने अपने [illegible] दिनांक 2.11.2014 को मौजीराम से पुनः हिस्सा को 3,51,000/- [illegible] जरिये रजिस्टर्ड वयनामा

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2022.03.22 10:22:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

खरीद करना व मौजीराम से 1/7 हिस्सा भूमि पर मौजीराम को प्रतिफल वयनामा राशि अदा कर कब्जा प्राप्त करना और वयनामा के आधार पर खातेदारी इन्द्राज होना कथन किया है जिसका कोई खण्डन सायलान द्वारा नही किया गया है। वयनामा की सायलान द्वारा दिनांक 21.11.2014 से किसी भी न्यायालय में चुनौती नही देना प्रार्थना पत्र से स्पष्ट होता है। सायलान ने अपने कब्जे के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नही किये है प्रस्तुत जमाबंदी में बेचान से गैरसायल नं. 24,25 के हक में खातेदारी होने का इन्द्राज है। सायलान के मौजीराम की पुत्री किन्नी होने की कोई साक्ष्य पत्रावली में प्रस्तुत नही की है गैरसायलान के अपने जवाब प्रार्थना पत्र में सायलान को मौजीराम की वारिस नही होना दर्ज किया है इस प्रकार सायलान अपने को मौजीराम की वारिस सिद्व करने में असफल रही है जिससे प्राईमाफेसी केस सायलान प्रकट नही होता है गैरसायलान जो रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकर रिकॉर्ड ऑफ राईटस जमाबंदी से सावित है को पाबन्द किया जाता है तो उन्हे अपूरणीय क्षति व असुविधा होने से इन्कार नही किया जा सकता सायलान के पक्ष में अपूरणीय क्षति व असुविधा प्रकट नही होती है प्रार्थना पत्र सायलान तथ्यहीन व सारहीन होने से चलने योग्य नही है।

अतः प्रार्थना पत्र सायलान विरूद्व गैरसायलान खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2022 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(धीरेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2022.03.22 10:22:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner